

उनवान

- 1 काना पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
- 2 कल्याण पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
- 3 महादेव पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
- 4 पुखराज पिता जगरूप गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
- 5 रतन पिता जगरूप गुर्जर नाबाववि माता सोसर देवी पत्नि जगरूप गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
- 6 फुलचन्द पिता जगरूप गुर्जर नाबाववि माता सोसर देवी पत्नि जगरूप गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
- 7 बदाम पिता जगरूप गुर्जर नाबाववि माता सोसर देवी पत्नि जगरूप गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
- 8 पिंकी पिता जगरूप गुर्जर नाबाववि माता सोसर देवी पत्नि जगरूप गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
- 9 सोसर पिता जगरूप गुर्जर नाबाववि माता सोसर देवी पत्नि जगरूप गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. जमना पिता रामा गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
2. रामेश्वर लाल पिता मांगु गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
3. रतनी पिता मांगु गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
4. हिन्दु पिता उदा गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
5. रामलाल पिता माधु गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
6. माधु पिता बालु गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
7. जीवण पिता गोपी गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
8. मांगी पत्नि गोपी गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
9. जमना पिता रामलाल गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
10. राजी पुत्री रामलाल गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
11. टमु पुत्री रामलाल गुर्जर निवासी चैचीखेडा, लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाडा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाडा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक - 07.06.2017

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 03.04.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम लाम्बियाकंला पटवार मण्डल लाम्बियाकंला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 120 के आ0न0 2547 रकबा 02-10 बीघा, स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.04.2017 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प लाम्बियाकंला में दिनांक 07.06.2017 के लिए पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में राज्य पक्ष तहसीलदार बनेड़ा से रिपोर्ट पटवारी हल्का लाम्बियाकंला प्राप्त की जाकर शामिल मिसल की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम लाम्बियाकंला पटवार मण्डल लाम्बियाकंला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 120 के आ0न0 2547 रकबा 02-10 बीघा, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक रायला को 300/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम लाम्बियाकंला में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी,

बनेड़ा, जिला भीलवाडा

दिनांक: 07.06.2017